नगर निगम की करतूत: ज़रा सी बरसात में शहर बना बंधक, तमाम रास्ते जाम

फ़रीदाबाद (म.मो.) शुक्रवार शाम हल्की सी बारिश क्या हो गयी, शहर भर की सड़कें व गलियां पानी से लबालब हो गयी। हार्डवेयर चौक से बाटा मोड़ (हाईवे) तक जाने में किसी भी वाहन को जो डेढ से दो मिनट लगते हैं, इस बरसात के बाद पूरे 16 मिनट लगे। कारण था हाईवे के बाटा मोड़ पर जल भराव तथा वाहनों का अनियंत्रित जमावड़ा। इसी तरह दिल्ली की ओर से अजरोंदा मोड़ होते हुए नीलम चौक तक पहुंचने में 55-60 मिनट का समय लग रहा था। जलभराव के चलते राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। ओल्ड व अजरोंदा के पुलों पर भी जाम देखा गया। इसकी वजह से वाहनों को गलत दिशा (रॉंग साइड) में भी चलना पड़ा।

इससे पहले वीरवार को जो हल्की बारिश हुई थी, उससे भी यही स्थिति बनी थी। उस बारिश की वजह से अजरोंदा मोड़ से नीलम पुल पर चढने वाली सड़क शुक्रवार सुबह तक जलभराव से जाम थी। नगर निगम के 'महान इन्जीनियर सकर मशीन द्वारा पानी सक कर के टैंकरों द्वारा पानी निकाल रहे थे। यह प्रक्रिया हर बारिश के बाद हमेशा ही की जाती है। विदित है कि इस जगह पर पहले पानी नहीं रुका करता था, परन्तु जब इस पुल के दोनों ओर बेतरतीब एवं अनियोजित व्यापारिक निर्माण निगम ने करवा डाले तभी से यह समस्या स्थाई बन कर रह गयी है, वरना पानी तो सदा से ही अपना रास्ता खुद बना कर निकलता रहा था।

हाईवे से लगे चौराहों से तो जैसे-तैसे जल निकासी करना निगम की मजबूरी तो है ही साथ में इस काम पर होने वाले अनाप-शनाप खर्च से कमीशन भी तो मिलेगा। लेकिन शह भर की अन्य सड़कों व गलियों से जल निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है। वह पानी अपने आप ही समय के साथ सूखता रहता है। यही है स्मार्ट सिटी बनाने वाले नेताओं व अफ़सरों की हकीकत। पहले यमुना एक्शन प्लान व जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन का पैसा डकार चुके अब स्मार्ट सिटी के नाम पर मोटा माल डकार कर किनारे लग लेंगे सभी नेता व अफ़सर।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रूपए की लागत से नगर निगम द्वारा बनाये गये शौचालयों में से उपर दिखाये गये शौचालय पांच नम्बर के सैंट जोसफ कान्वेंट स्कूल के सामने स्थित है। जब से ये शौचालय बने हैं, इन पर ताले लगे हुए हैं। पूरे शहर में बने शौचालयों का यही हाल है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

नेशन हट पर राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव: भूमाफ़िया ने कसा शिकंजा'

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 1-7 मार्च के अंक में प्रसासनिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समसामाजिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद 1984 में सिखों के विरुद्ध हुए दंगों के बाद दिल्ली में दंगों का इतिहास नहीं रहा है। उन दंगों में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार व दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे आज जब दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों की बात हो रही है तो कटघरे में राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मोदी सरकार व दिल्ली पुलिस की भूमिका कठघरे में है। इन दंगों में पुलिस अपना पेशेवर दायित्व निभाने और मज़बूती से कानून लागू करने में असफ़ल रही है। धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित पुलिस कमीशन द्वारा 1979 में की गई टिप्पणी की पुलिस की वर्तमान स्थिति उसी विरासत की देन है जो उसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मिली है। वह राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने का एक औजार बन कर रह गई है। पुलिस कमिशन की टिप्पणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज सबसे अधिक सवाल दिल्ली पुलिस के पेशेवर रवैये पर उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे रोकने में नाकामी पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि पुलिस ने पेशेवर बर्ताव नहीं किया। उसे कार्यवाई की छूट नहीं मिली। पुलिस खुद फ़ैसले ले, आदेश का इंतजार न करे।

दिल्ली के नार्थ-ईस्ट इलाके में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 56 लोग मारे जा चुके हैं, 350 से ऊपर घायल हुए हैं, 168 मकान व 327 दुकानें, तीन स्कूल, पेट्रोल पम्प तथा मस्जिद जलाकर खाक कर दिये गए हैं और बड़ी तादाद में लोग गायब हैं तथा रोज़ाना लाशें बरामद हो रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50 करोड़ रुपये के कारोबार का नुक्सान हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जन याचिका में पूर्व विधायक व भाजपा नेता कपिल मिश्रा, भाजपा सांसद परवेश वर्मा तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर भड़काऊ बयान देने का ओरोप लगाया गया था, जिसके कारण दंगे भड़क उठे थे। आश्चर्य है कि अदालत ने सरकारी वकील की दलील कि इन लोग़ों पर अभी एफआईआर दर्ज करने से दंगे और भड़क सकते हैं को तुरंत स्वीकार करके केंद्र सरकार को इस बारे में सोच-समझ कर चार हफ़्ते में 13 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। जबकि दंगों, हत्याओं व आगजनी के लिये पुलिस ने पचासों एफ़आईआर दर्ज करके सैंकड़ों लोग़ों को हिरासत में ले रखा था।

गौरतलब है कि पुलिस को दोषी ठहराते हुए उसकी काहिली पर सवाल पूछने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस. मुरलीधर को मोदी सरकार बर्दास्त नहीं कर पाई और उन्हें रात को 12 बजे चंडीगढ का ट्रांस्फर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषण के आरोप में एफ़आईआर की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट में 13 अप्रैल तक सुनवाई टालना न्यायोचित नहीं है, ऐसे मामलों में इतनी ज्यादा देरी नहीं की जानी चाहिये। अब इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

'दिल्ली नरसंहार...आरएसएस का गुजरात मॉडल राजधानी में भीषण रक्तपात के लिये दक्षिणपंथी संगठन संघ का नाम खुलकर लिया है', 'दिल्ली हिंसा: सावरकर चलाने वालों के विरुद्ध क्यों न केस दर्ज किया जाये?', 'कपिल मिश्रा पर एफ़आईआर के लिये कोर्ट ने दिया चार हफ्ते का समय', 'दिल्ली हिंसा: ऊपरी आदेश की प्रतिक्षा में पुलिस को किया विकलांग' तथा 'दंगा नहीं, संघ-बीजेपी की अगुवाई में रचा गया यह सुनियोजित हमला है' में दिल्ली की साम्प्रदायिक दंगों में दिल्ली पुलिस, आरएसएस-भाजपा से जुड़े दंगाइयों के गठजोड़ का पर्दाफ़ाश किया गया है। दरअसल यह सिर्फ़ हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश को एक साम्प्रदायिक राष्ट्र में बदलने की तैयारी है।

दिल्ली में वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है जो गुजरात में 2002 में दंगों के दौरान हुआ था। गुजरात व दिल्ली दोनों जगह साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने में संघ व इसमें अनुसांगिक संगठनों, भाजपा तथा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (मोदी शाह) के साथ-साथ गुजरात पुलिस व दिल्ली पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही है।

इस नरसंहार में नुकसान सिर्फ़ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि हिंदुओं का भी हुआ है। मरने वालों में हिंदु भी है तथा मुसलमान भी। पुलिस के हैड कांस्टेबल रतन लाल तथा आईबी के कर्मचारी अंकित वर्मा की जघन्य हत्या हुई है। कई हिंदू परिवारों ने मुस्लिम परिवारों को तो वहीं मुस्लिम परिवारों ने हिंदू परिवारों और मंदिरों को दंगाइयों से बचाया है। इस प्रकार दोनों समुदाय के लोगों ने गंगा-जमुनी तहजीब तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की मिसाल कायम की है।

नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरुद्ध देशव्यापी विरोध धरनों व प्रदर्शनों के मद्देनज़र मोदी सरकार ने सीएए को न्याय संगत करार देने हेतु पहले तो कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया है। गांधीजी के बयानों व भाषणों से सरकार के झूठ की कलई खुलने पर भाजपाई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिसम्बर 2003 का एक पुराना वीडियो साझा किया जिसमें मनमोहन सिंह ने राज्य सभा में बिना कोई सीमा बनाए सभी पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंयकों को नागरिकता देने के लिये संविधान में संशोधन की मांग की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी मनमोहन सिंह की बात से सहमत थे। आडवाणी का फ़ामूला इस विश्वास पर आधारित था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शिया, अहमदिया, हजारा जैसे प्रताड़ित मुस्लिम अल्पसंख्य भी भारत की सहानुभूति के हकदार हैं, जिसकी 'नागरिकता कानून में धर्म के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के उलट है मोदी सरकार का रवैया' में समीक्षा की गई है। इस प्रकार मनमोहन सिंह की मांग और सीएए में कोई समानता नहीं है, क्योंकि सीएए में चुनिंदा पड़ोसी और चुनिंदा धार्मिक समूहों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने संवैधानिक विशेषज्ञों विशेषकर लोकसभा के पूर्व सैक्रेटरी सुभाष कश्यप की सलाह को भी नजरंदाज कर दिया। संघ के निर्देशों पर तथा इसके हितों की सुरक्षा के लिये सीएए बनाया गया है।

आसाम के 40 लाख लोगों के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं आने पर लोकसभा-2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह, भाजपा व आरएसएस ने देशव्यापी घुसपैठियों के खिलाफ़ मुहिम चलाई थी। लेकिन बाद में इन 40 में से केवल 19 लाख बचे जिनमें से लगभग 16 लाख हिंदू हैं। इन 16 लाख हिंदुओं को नागरिकता देने के लिये तो सीएए बना दिया, लेकिन समस्या है कि शेष तीन लाख लोगों को क्या किया जाएगा? 'एनआरसी-एक पागलपन:मृणाल तालुकदार' में एनआरसी लागू करने में आने वाली समस्याओं की विवेचना की गई है।

स्मरण रहे कि ईएसआई निगम की 1956 में स्थापना की गई थी जो मुनाफ़ा कमाने वाली व्यापारिक संस्था न होकर देश के मज़दूरों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा व सामाजिक सुरक्षा देने के लिये बनाई गई थी। इसके लिये बाकायदा भारतीय संसद ने ईएसआईसी अधिनियम पारित करके निगम को केन्द्रीय श्रम मंत्री के आधीन किया था। इस निगम में किसी भी सरकार ने कभी भी अपने पास से एक पैसे का भी निवेश नहीं किया, जबकि मज़दूरों की तनख्वाह में से हर महिने वसूले गए अंशदान से निगम का खजाना भरा पड़ा है। जरूरत के अनुसार अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, उपकरणों, डॉक्टरों, स्टाफ़, दवाइयों आदि पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं की जाती है, जिससे निगम के खजाने में जो पैसा बचा रहता है वही मुनाफ़ा बन जाता है, जिसका 'मज़दूरों व उनके परिवारों को अपर्याप्त एवम् दयनीय चिकित्सा सेवा को झेलना पड़ता है।

'नेशन हट पर राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव: भूमाफ़िया ने कसा शिकंजा' में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव में एनआईटी पांच स्थित नेशन हट इलाके में खाली पड़ी पार्क की ज़मीन पर सरकारी अमले व भूमाफ़ियों की मिलीभगत से कब्जा करने के प्रयास को बेनकाब किया गया है। राजनीतिक सत्ता, प्रशासन, पुलिस आदि की सांठगांठ से ही भूमाफियाओं का धंधा पनपता है।

दिल्ली के साम्प्रदायिक दंगों पर 'रोटी-राइटस', अरे... तुम तो ईद की सेवइयां खाने घर आते थे-और हां तुम भी तो दिवाली पर गुजिया खाने घर आए थे-तो फ़िर हमें यहां किसने भेजा?' व गुजरात 2002 दिल्ली 2020 तथा एनसीआर पर 'चलो!अपनी नागरिकता साबित करो... अंग्रेजो के मुखबिर कार्टूनों द्वारा उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।

यह सब कुछ बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। भजनपुरा व न्यू सीलमपुर के निवासियों के अनुसार ट्रेक्टरों के जरिए ईंट-पत्थर ढोकर लाए गए और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से 10 ट्रकों में भरकर दंगाइयों को लाया गया, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं रोका। गौतमपुरी में गली संख्या 8,9 व 10 में हिंदुओं को बचाने के लिये बाकायदा उनके घरों पर भगवा झंडे और निशान लगाए गए जिससे उनकी पहचान कर उन्हें हमले से बचाया जा सके और बाकी घरों को दंगाइयों के हवाले कर दिया जाये। कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम घरों पर पथराव करती दिख रही है।